न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– उमर दीन खान
आई.ए.एस.

रेफरेन्स प्रा0प0 संख्या 014 / 2021

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील व जिला झुंझुनूं।

–– प्रार्थी

बनाम

चावो वीरो सती, ग्राम बगड, तहसील व जिला झुंझुनूं।

–– अप्रार्थीगण

––

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

––

उपस्थितः–

1. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय एडवोकेट– प्रार्थी की ओर से।
2. श्री मुकेश वशिष्ठ, एडवोकेट– अप्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनांक 13.12.2021

1. पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं के द्वारा प्रस्तुत की गई है। रेफरेन्स के तथ्य निम्न प्रकार से है कि मौजा बगड, तहसील व जिला झुंझुनूं की हाल जमाबन्दी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 775 के अनुसार ग्राम बगड मे स्थित भूमि ख0न0 288 रकबा 0.78 है0 किस्म गै0मु0 गड्ढा की गैर खातेदारी चावो बीरो सती, ग्राम बगड, तहसील व जिला झुंझुनूं सा. देह गैर खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि के गत ख0न0 एवं पूर्व के रिकार्ड की स्थिति निम्नानुसार दर्ज रिकार्ड हैः–

क0 स0	जमाबन्दी संवत्	ख0न0	रकबा	किस्म	जमीन 3 गैर मौरूसी कृषक का नाम व विवरण
1	2024–2027	643 मी.	3 बीघा 2 बिश्वा	गै0मु0 खड्डा	श्री चावो वीरो सती गैर खातेदार
2	2028–2031	643 मी.	3 बीघा 2 बिश्वा	गै0मु0 खड्डा	श्री चावो वीरो सती गैर खातेदार

जिला कलक्टर

3	2032–2035	643 मी.	3 बीघा 2 बिश्वा	गै0मु0 खड्डा	चावो वीरो सती ग्राम बगड गैर खातेदार
4	2045–2048	643 मी.	3 बीघा 2 बिश्वा	गै0मु0 खड्डा	चावो वीरो सती ग्राम बगड गैर खातेदार
5	2005 (आधार वर्ष)	288	0.78 है0	गै0मु0 खड्डा	चावो वीरो सती ग्राम बगड गैर खातेदार
6	2062–2065	288	0.78 है0	गै0मु0 गड्डा	चावो वीरो सती ग्राम बगड गैर खातेदार
7	2065–2068	288	0.78 है0	गै0मु0 गड्डा	चावो वीरो सती ग्राम बगड गैर खातेदार
8	2069–2072	288	0.78 है0	गै0मु0 गड्डा	चावो वीरो सती ग्राम बगड गैर खातेदार
9	2074–2077	288	0.78 है0	गै0मु0 गड्डा	चावो वीरो सती हिस्सा पूर्ण संस्था के लिए अ0वि0वि0 ग्राम बगड

उक्त वर्णित भूमि जमाबन्दी संवत् 2024–2027 से गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड है जो बिना किसी कारण व आदेश के दर्ज हुई है। सार्वजनिक उपयोग की उक्त विवादित भूमि किसी व्यक्ति विशेष की खातेदारी कब्जे मे दिया जाना न्यायोचित नही है। इस प्रकार की भूमियों की सुरक्षा करना प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) का कर्तव्य है। राजस्व रिकार्ड में गलत अंकन की आड़ में गैर खातेदारी अपने प्रभाव से किसी प्रकार से उक्त विवादित भूमि की खातेदारी ग्रहण कर लेता है तो राज्य सरकार की हक तलफी होगी, अपूर्तनीय क्षति होगी, आमजन को असुविधा होगी, आवश्यक मुकदमेबाजी बढेगी तथा अनेको कानूनी पेचदागियां उत्पन्न हो जायेगी। अतः रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खाता संख्या 775 के अनुसार ग्राम बगड मे स्थित भूमि ख0न0 288 रकबा 0.78 है0 किस्म गै0मु0 गड्ढा की गैर खातेदारी अप्रार्थीगण के खाते से हटाई जाकर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें तथा अन्य सिद्धि जो राज्य हित व सार्वजनिक हित में दिया जाना उचित हो व भी दिलाने की कृपा करें।

बहस सुनी गई। विद्वान राजकीय अभिभाषक (प्रार्थी) ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम बगड की सरहद मे स्थित भूमि ख0न0 288 रकबा 0.78 है0 किस्म गै0मु0 गड्ढा के मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2024–2027 के अनुसार पुराने भूमि खसरा नम्बर 643 मी0 की गैर खातेदारी चावो बीरो सती, ग्राम बगड के खाते मे दर्ज रिकार्ड है। विवादित भूमि के रेफरेन्स के लिए अधीनस्थ अदालत के आदेश/डिक्री की आवश्यकता नही है। भूमि की किस्म नदी, नाले आदि की होना चाहिए। स्टेट ग्राण्ट से रेफरेन्स का कोई लेना–देना नही है। अतः प्रार्थी का प्रा0प0 स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि की गैरखातेदारी अनोवदक के खाते से हटाई जाकर खातेदारी राजस्थान सरकार के नाम दर्ज किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भेजे जाने का आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी वकील ने नजीर The Jaipur State Grants Land Tenures ACT 1947 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये राजकीय अभिभाषक के कथनो का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी इस अदालत मे रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही कर सकता है। नियमानुसार अधीनस्थ अदालत के आदेश/डिक्री के विरूद्ध ही रेफरेन्स प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रार्थी की मंशा विवादित भूमि के रिकार्ड की दुरूस्ति की है जिसके

लिए प्रार्थी को रिकार्ड दुरूस्ति का दावा करना चाहिए। विवादित भूमि मे मौके पर 400 साल पुराना मंदिर है। गिरदवारी संवत् 2012–15 मे विवादित भूमि की किस्म गै0मु0 आबादी दर्ज है एवं भूमि सती के नाम दर्ज है। आगे चलकर उक्त भूमि के दो टुकडे गै0मु0 आबादी एवं गै0मु0 गड्ढा के रूप मे दर्ज कर दिये गये। अप्रार्थी का विवादित भूमि पर स्टेट से पूर्व का कब्जा है। विवादित भूमि स्टेट ग्राण्ट की है। प्रार्थी ने नया रिकार्ड ही पेश किया है पुराना रिकार्ड पेश नही किया है। अतः प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। प्रार्थी तहसीलदार द्वारा मौजा बगड़ की हाल जमाबन्दी संवत् 2074–77 के खाता संख्या 775 के अनुसार ग्राम बगड़ में स्थित भूमि खसरा नम्बर 288 रकबा 0.78 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन गड्ढा की गैर खातेदारी अप्रार्थी के नाम से हटाकर राज्य सरकार के नाम दर्ज किये जाने का अनुतोष चाहा है। प्रकरण में अहम तथ्य निम्न प्रकार से है यथा :–

1. प्रकरण में ग्राम बगड़ स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 643 रकबा 5 बिघा 2 बिश्वा जमाबन्दी सम्वत् 2012 – 15 में आबादी के रूप में दर्ज है तथा इसके बाद उक्त भूमि गत खसरा नम्बर 643मी. रकबा 3 बिघा 2 बिश्वा जमाबन्दी सम्वत् 2016 – 19 में किस्म गैरमुमकीन खड्डा के रूप में अप्रार्थी चावों वीरों सती की गैर खातेदारी में दर्ज हुई है। इसके बाद विवादित आराजी अप्रार्थी की गैर खातेदारी में सम्वत् 2069–72 तक चली आ रही है। जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 में विवादित आराजी की खातेदारी चावो वीरो सती हिस्सा पूर्ण संस्था के लिए अ.विवि. ग्राम बगड़ दर्ज रिकार्ड हुई है। अप्रार्थी का तर्क यहां रहा है कि प्रार्थी की मंशा विवादित भूमि के रिकार्ड की दुरूस्ति की है जिसके लिए प्रार्थी को रिकार्ड दुरूस्ति का दावा करना चाहिए। गिरदवारी संवत् 2012–15 मे विवादित भूमि की किस्म गै0मु0 आबादी दर्ज है एवं भूमि सती के नाम दर्ज है। आगे चलकर उक्त भूमि के दो टुकडे गै0मु0 आबादी एवं गै0मु0 गड्ढा के रूप मे दर्ज कर दिये गये। अप्रार्थी का विवादित भूमि पर स्टेट से पूर्व का कब्जा है। विवादित भूमि स्टेट ग्राण्ट की है। अपने तर्को के समर्थन में अप्रार्थी ने नजीर The Jaipur State Grants Land Tenures ACT 1947 की धारा 15 की ओर ध्यान आकर्षित किया जिसके अनुसार (15) 'State-grant' means a grant of an interest in land made or recognized by the Ruler of the Jaipur State and inclues a jagir, muamla, suba, istimrar, chakoti, badh, bhom, inam, tankha, udak, milak, aloofa, khangi, bhog or other charitable or religious grant, or any other grant of a similar nature.' प्रार्थी ने रेफरेन्स भूमि गत खसरा नम्बर 643 मी. की बाबत प्रस्तुत किया है जो जमाबन्दी सम्वत् 2012–15 में आबादी के रूप में खातेदारी में दर्ज रही है। अप्रार्थी ने ऐसा कोई साक्ष्य या दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है कि उक्त विवादित आराजी उसकी गैर खातेदारी में किसी आदेश से दर्ज हुई है। आबादी भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है जो गैर खातेदारी में रही भूमि है। विवादित आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में आती है। विवादित भूमि की बाबत अप्रार्थी द्वारा अपने स्वामित्व का प्रमाण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं है।
2. ऐसी स्थिति में हम रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को किया जाना उचित समझते हैं एवं विवादग्रस्त आराजी की स्थिति 15 अगस्त, 1947 के समय की किया जाना उचित समझतें है।

3. अतः ग्राम बगड़ की हाल जमाबन्दी संवत् 2074–77 के खाता संख्या 775 के अनुसार ग्राम बगड़ में स्थित भूमि खसरा नम्बर 288 रकबा 0.78 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन गड्ढा की गैर खातेदारी अप्रार्थी के नाम से निरस्त करवाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स प्रस्तुत किया जाकर निवेदन है कि भूमि खसरा नम्बर 288 रकबा 0.78 हैक्टर की गैरखातेदारी अप्रार्थी के नाम से खारिज फरमाई जाकर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज करवाने के आदेश फरमाये जावे। साथ ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जोधपुर के निर्णय दिनांक 02.08.2004 अब्दुल रहमान बनाम सरकार की पालना में विवादग्रस्त आराजी की स्थिति 15 अगस्त, 1947 के समय की किये जाने के भी आदेश फरमाये जावें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के यहां प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार झुंझुनू को भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 13.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं
13/12/21

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर,
झुंझुनू